गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.07.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.07.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
7.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
11.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नानुसार संशोधनों के साथ की गयी :–

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण क्रमांक–02 के अंतर्गत नव प्रवेशित छात्रों एवं पूर्व छात्रों के पुर्न–प्रवेश के लिए समिति द्वारा बिन्दु क्रमांक–4 में (स्वामी विवेकानन्द बालक छात्रावास) समिति की अनुशंसा निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

"स्वामी विवेकानन्द बालक छात्रावास– में अर्हता प्राप्त छात्रों को नये सत्र में पुनः प्रवेश दिया जाय एवं शेष रिक्त स्थानों पर नवीन बालक छात्रावास–ए एवं नवीन बालक छात्रावास–बी में सत्र 2018–19 में प्रवेशित छात्रों को अर्हता एवं मेरिट के आधार पर पुनः प्रवेश दिया जाय।"

विषय क्र. 02 सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर हेतु ग्रेड कार्ड का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने प्रस्तावित ग्रेड कार्ड प्रारूप में कतिपय संशोधन सुझाये तथा सुझावों को समाहित करते हुए ग्रेड कार्ड बनवाने की आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 03 सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिए विभागवार, वर्गवार सिटों का आबंटन विषयक।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्रावास के अधीक्षकों द्वारा प्रस्तावित सीट आबंटन का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पी.एम.एस.एस. योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर आवश्यक रूप से छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान की जाय।

विषय क्र. 04 विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान के अंतर्गत एम.फार्मा पाठ्यक्रम में ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सीटों में वृद्धि हेतु भेजे गये प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करने विषयक।

स्थायी समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 05 VRET exempted श्रेणी के शोधार्थियों को Fellowship दिये जाने पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VRET exempted श्रेणी के शोधार्थियों को Fellowship प्रदान न किया जाय।

विषय क्र. 06 MOOCs के प्रावधान अध्यादेश में समाहित किये जाने पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि MOOCs से संबंधित प्रावधान विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 26 में समाहित किये जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि MOOCs से संबंधी प्रावधान लागू किये जाने के लिए अध्यादेश क्रमांक 26 के अधीन विनियम प्रारूपित किया जाय।

उपरोक्त विनियम का प्रारूप प्रारूपण समिति द्वारा तैयार कर स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 07 **बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से स्थानांतरित शोधार्थियों के प्रकरण की पुष्टि पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित टीप के द्वितीय पैरा में अंकित टिप्पणी में लिखे "विद्वत समूह द्वारा अनावश्यक विलम्ब कराना" को विलोपित करते हुए इसे प्रक्रियागत विलम्ब लिखा जावे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सुसंगत प्रकरणों के निराकरण हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाय तथा नियमानुसार प्रकरणों का निराकरण कराया जाय।

समिति के गठन हेतु कुलपति/अध्यक्ष, विद्यापरिषद की स्थायी समिति को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र. 08 **परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिये विनियम के प्रारूप पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद के स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभिमतों को विनियम प्रारूपण समिति के समक्ष विचार तथा प्रस्तुत विनियम में आवश्यक संसोधन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र. 09 **परीक्षा भारत फ्रांस वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम हेतु डॉ0 गोवर्धन रेड्डी तुरपु, सहायक प्राध्यापक, भौतिकी का प्रस्ताव फ्रांस के उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने वाले केन्द्र को अनुसंधान कार्य हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा जारी करने विषयक।**

स्थायी समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 10 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संवीक्षण के संबंध में निर्देश बावत्।**

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन कमांक 105/भर्ती/प्रशा./2019, दिनांक 03.06.2019 के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिये विज्ञापन प्रसारित किया गया है तथा प्राप्त आवेदन पत्रों के संवीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। संवीक्षण का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रसारित विनियम 2018 के अनुरूप किया जा रहा है। कुछ संवीक्षण समिति द्वारा इस विनियम में कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है जो कि निम्नानुसार प्रस्तुत है –

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रसारित विनियम 2018 के पृष्ठ क्रमांक 107 में क्र 07 में अनुभव के संबंध में लेख है कि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि यदि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रुप से घटा दिया जाये। इस अनुपात के निर्धारण के संबंध में निर्देश निवेदित हैं।

एक पूर्ण साल के अनुभव के लिये 02 अंक प्रदान किये जाये तथा यदि अनुभव 01 साल से कम है तो निम्नानुसार अंक निर्धारण किये जाये।

$$\frac{\text{कुल दिवस}}{365} \times 02 = \text{अंक}$$

02. अनुभव प्रमाण पत्र में नियमित नियुक्ति, पे ग्रेड या समेकित वेतन का उल्लेख होना आवश्यक है अथवा किसी भी प्रकार के शैक्षणिक अनुभव को शामिल किया जा सकता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अनुभव के संबंध में "Sec 28" के अन्तर्गत नियुक्त का विवरण उल्लेखित होने पर भी पे ग्रेड का उल्लेख होना आवश्यक है अथवा नहीं।

ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी केन्द्रीय/राज्य/सांविधिक संस्था/निकाय के अन्तर्गत चयनित हुए हों उनके अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्य किया जाय। ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी निजी संस्थान में कार्यरत रहें हों यदि अनुभव प्रमाण पत्र के साथ इनके उस संस्थान में सांविधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो ही इन्हें मान्य किया जाय।

03. नेट यूजीसी द्वारा न्यूनतम योग्यता निर्धारित है तथा विभिन्न श्रेणी हेतु जैसे अनारक्षित, अपिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु नेट उत्तीर्ण करने हेतु अलग–अलग अंक निर्धारित है। जबकि पूर्व में जारी नेट प्रमाण पत्र में श्रेणी का उल्लेख नहीं होते थे, परंतु नये प्रमाण पत्र में यदि श्रेणी का उल्लेख किया गया है तो अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के तहत NET Eligiblity किस प्रकार निर्धारित किया जाना है के संबंध में निर्देश निवेदित है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत NET की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उनके NET उत्तीर्ण होने के एवज में प्राप्त अंक आवेदक के उसी श्रेणी के अन्तर्गत मान्य किये जायें।

04. UGC Care list of Jouranl के संबंध में अधिसूचना दिनांक 14.06.2019 के अनुक्रम में इस अधिसूचना के पूर्व प्रकाशित जरनल आदि के संबंध में निर्देश निवेदित है।

ऐसे विषय जिनके लिये UGC care list journals प्रदान की गई है केवल UGC care listed journals को ही संवीक्षण एवं चयन के लिये मान्य किया जाये।

05. पी.एचडी. संबंधित विषय में ही होना चाहिये अथवा नही यह स्पष्ट नहीं है।

पी.एचडी. के संबंध में संवीक्षण समिति द्वारा निर्णय लिया जाये।

शिक्षा विभाग के पदो हेतु

06. यदि स्पेशल एजुकेशन के किसी अभ्यर्थी ने बी.एड. (VI) की कक्षाओं में शिक्षण का कार्य किया है तो उसे शैक्षणिक अनुभव दिये जाने के संबंध में निर्देश निवेदित है।

07. स्पेशल एजुकेशन में यूजीसी द्वारा नेट का आयोजिन नहीं किया जाता है। अगर कोई अभ्यर्थी जनरल एजुकेशन में नेट उत्तीर्ण है तो उसे अंक दिये जाने के संबंध में निर्देश निवेदित है।

08. कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा बी.एड (स्पेशल एजुकेशन) या एम.एड (स्पेशल एजुकेशन) के कोर्सेस हेतु बी.एड., एम.एड. की उपाधि प्रदान की गई है दोनो उपाधियों के समानता के संबंध में निर्देश निवेदित है।

09. आचार्य/सह आचार्य बी.एड., एम.एड. पदों पर बी.एड (स्पेशल एजुकेशन) या एम.एड (स्पेशल एजुकेशन) के अभ्यर्थी के पात्रता के संबंध में निर्देश निवेदित है।

बिन्दु क्रमांक 6, 7, 8 एवं 9 के संबंध में संवीक्षण समिति द्वारा निर्णय लिया जाये।

विषय क्र. 11 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अवर सचिव द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक F.No. 1-8/2017(SWAYAM Board) दिनांक 19 जून, 2019 के संदर्भ में समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2019 का कार्यविवरण के अनुमोदन बाबत्।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2019 के कार्यवृत्त में उल्लेखित अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र. 12 **डॉ0 सुषमा जैयसवाल, सहायक प्राध्यापक, सी.एस.आई.टी. विभाग द्वारा पूर्व सेवा जोड़ने, विभाग की वरिष्ठता सूची बनाये जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन एवं CPRAMS पोर्टल पर प्रस्तुत शिकायत के संबंध में।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु समिति गठित की जाय एवं प्रकरण निराकरण के प्रयास किये जाय।

समिति के गठन हेतु कुलपति/अध्यक्ष, विद्यापरिषद की स्थायी समिति को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र. 13 **विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के पदों के आरक्षण रोस्टर के संशोधन में विचार संबंधी।**

आरक्षण रोस्टर समिति के कार्यवृत्त दिनांक 11.07.2019 में प्रस्तुत अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय तथा अनुशंसाओं के अनुसार विज्ञापन में आवश्यक संशोधन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**